कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–939–A/398 रायपुर, दिनांक 22/02/2023

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
गरियाबंद वन मंडल, गरियाबंद
छत्तीसगढ़

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Degital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Gariyaband Forest Division under Gariyaband District of Chhattisgarh State, Area 2.921 ha.**

– **पंजीयन कमांक – FP/CG/OFC/155724/2022**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर का पत्र कमांक /तक शा./ विविध /1273 दिनांक 31.01.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा रकबा 2.921 हे. वन भूमि में **OFC** लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का नोडल कार्यालय में परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाई गई है जो निम्नानुसार हैः–

आनलाईन त्रुटियांः–

1. प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व वन भूमि रकबा 0.366 हे. आवेदित किया गया है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 128 में कलेक्टर द्वारा रकबा 0.359 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। इस प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र में 0.007 हे. का अंतर है।
2. Form A Part-II के कालम न. 16 भाग 3 अपलोड नहीं किया गया है।

ऑफ लाईन त्रुटियां :–

1. कंडिका 13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक एवं स्थान अंकित नहीं किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक एवं स्थान का उल्लेख किया जावे।
2. प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व वन भूमि रकबा 0.366 हे. आवेदित किया गया है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 128 में कलेक्टर द्वारा रकबा 0.359 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। इस प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र में 0.007 हे. का अंतर है। अतएव 0.007 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्तानुसार आंन लाईन एवं ऑफ लाईन कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः 03 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–939–A / 399 रायपुर, दिनांक 22/02/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़